आईसीएसआई ने शहीदों की बेटियों के लिए बनाया कोष

इंदौर। नईदुनिया रिपोर्टर

इस समय सरकार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फोकस कर रही है। इससे कंपनियों से जुड़े कानूनों का सही रूप में पालन करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। कंपनी लॉ मंत्रालय ने हाल ही में कंपनियों के लिए केवायसी से संबंधित फॉर्म जारी किए हैं। इससे कंपनियों को पंजीकृत पते, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की जानकारी देना होगी। ऐसा न करने पर कंपनी लॉ स्टेटस इनएक्टिव मानी जाएगी। यह कहना है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत पांडे का। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संस्थान ने कार्पोरेट लॉ पर सेमिनार का आयोजन किया।

सेबी और कंपनी अधिनियम के बिंदुओं पर हुई बात

संस्थान के इंदौर चैप्टर की चेयरपर्सन रुचि जोशी ने कहा कि आईसीएसआई ने इंदौर चैप्टर को बेस्ट घोषित किया है। पिछले कुछ समय से संस्थान ने स्टूडेंट्स को मिलने वाली सेवाओं को बेहतर किया है। कार्यक्रम में सेबी लिस्टिंग से संबंधित प्रावधानों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंपनी विभाग के वाइस प्रेसीडेंट एस. सुधाकर ने जानकारी दी। कंपनी सेक्रेटरी मकरंद जोशी ने लघु व स्माल उद्योग और कंपनी अधिनियम पर सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में कंपनी सेक्रेटरी आशीष करोड़िया, नीलेश गुप्ता, विपुल गोयल और अन्य सदस्य उपस्थित थे।

स्मृति चिन्ह और गुलदस्तों की प्रथा बंद कर पैसा जुटाएंगे

संस्थान के अध्यक्ष पांडे ने बताया कि संस्थान ने शहीदों की बेटियों की शिक्षा के लिए अलग से कोष का गठन किया है। इसके तहत संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में आने वाले अतिथियों और वक्ताओं को दिए जाने वाले स्मृति चिन्ह, गुलदस्तों की प्रथा को बंद कर दिया गया है। इससे एकत्रित राशि बेटियों की शिक्षा और कल्याण में लगाई जाएगी। संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष गर्ग का कहना है कि संस्थान ने हाल ही में कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में बदलाव किया है। इसके तहत जल्द ही ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को भी बदला जाएगा। इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि स्टूडेंट्स पूर्ण उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़े।